न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 518–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–02–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का राजस्व प्रकरण कमांक 699/07–08

---

1. मुस0 दुईजी बेवा मनसुखलाल कुर्मी
2. द्वारिका प्रसाद तनय स्व. मनसुखलाल कुर्मी
3. सन्तोष कुमार तनय स्व. श्री मनसुखलाल कुर्मी
   सभी निवासीगण ग्राम झाल थाना व तहसील मैहर, जिला सतना म0प्र0

..........................आवेदकगण

बनाम

1. रजनीश पाण्डेय तनय चंद्रिका प्रसाद पाण्डेय
   निवासी ग्राम बरहिया थाना व तहसील मैहर
   जिला सतना म0प्र0
2. म0प्र0 शासन

..........................अनावेदकगण

श्री इन्द्रजीत प्रसाद, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामनरेश मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक क्रं 1

: : आ दे श : :
(आज दिनांक 1/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 07–02–11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा आराजी नम्बर 605 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा एवं 1837/781 रकवा 2 बीघा स्थित ग्राम जूरी के सीमांकन हेतु नायब तहसीलदार वृत्त नादन तहसील

मैहर के न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 50/अ–12/03–04 मे पारित आदेश दिनांक 28–05–2004 से सीमांकन की पुष्टि की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपर कलेक्टर सतना के न्यायालय म निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 299/निग/05–06 मे पारित आदेश दिनांक दिनांक 29–11–2007 से निगरानी स्वीकार की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 07–02–2011 को आदेश पारित कर आवेदक की निगरानी निरस्त की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन आराजी से सटे हुये आराजी नम्बरों में विसंगति है। यह बिन्दु तहसीलदार की जांच में भी स्पष्ट है। अतः उक्त विसंगति को विधिवत प्रकिया अपनाकर जब शुद्ध नहीं किया जाता तब तक सीमांकन के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता है। अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी इन्हीं आधारों की पुष्टि की है। इस न्यायालय में भी आवेदक की ओर से ऐसे कोई तथ्या पेश नहीं किये हैं जिससे अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जा सके। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक रूप से उचित प्रतीत होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 07–2–2011 स्थिर रखा जाता है।

1/11/18

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर